POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.01.2026

1. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा फर्जी हॉलमार्क की ज्वैलरी से धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के चार बेंगल फर्जी हॉलमार्क गुदे हुये व 1,32,230/- रूपये नकद व बिना नंबर प्लेट टाटा सेरा कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा दिनांक **19.01.2026** को अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र स्व0 सूरज सिंह निवासी पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सैक्टर जीटा-1, ग्रेटर नोएडा व अभियुक्ता सानिया उर्फ सोनिया पुत्री स्व0 रमजानी निवासी मोहल्ला अंसारियान थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर हाल पता बी-2, 601 डिजाइनआर्च सोसाइटी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को थाना बीटा-2 क्षेत्र के गामा -2 ग्रीन बेल्ट से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त व अभियुक्ता के कब्जे से पीली धातु के चार बेंगल फर्जी हॉलमार्क गुदे हुये व 1,32,230/- रूपये व बिना नंबर प्लेट टाटा सेरा कार बरामद हुयी है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त दीपक व अभियुक्ता सानिया उर्फ सोनिया उपरोक्त एक अपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा फर्जी ज्वैलरियों पर फर्जी हॉलमार्क गुदवाकर ज्वैलरी लेने के बहाने ज्वैलर्स की दुकान पर जाकर नकली के बदले असली ज्वैलरी धोखाधडी कर हासिल कर बेचकर अवैध धन अर्जित करते है। अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा करीब 03 माह पूर्व जगत फार्म मार्किट से वादी/ज्वैलर्स की दुकान पर फर्जी हॉलमार्क ज्वैलरी ले जाकर, ज्वैलरी खरीदकर और दूसरी ज्वैलरी खरीदने के बहाने धोखाधड़ी कर असली ज्वैलरी के बदले नकली ज्वैलरी वापस की गयी। जिसके सम्बन्ध मे थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 537/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),3(5) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. दीपक चौहान पुत्र स्व0 सूरज सिंह निवासी इ-81, पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सैक्टर जीटा-1, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. अभियुक्ता सानिया उर्फ सोनिया पुत्री स्व0 रमजानी निवासी मोहल्ला अंसारियान थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर हाल पता बी-2, 601 डिजाइनआर्च सोसाइटी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 537/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),3(5) बीएनएस थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. पीली धातु के चार बेंगल, फर्जी हॉलमार्क गुदे हुये
2. 1,32,230/- रूपये नकद
3. बिना नंबर प्लेट टाटा सेरा कार बरामद

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा साइबर ठगी कर गोल्ड क्रय करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 2,15,060 रुपये की ज्वैलरी व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.01.2026 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 01 अभियुक्ता प्रियंका वत्स पत्नी विक्रांत वत्स को सेक्टर-119 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से 01 सोने की चेन व 01 जोड़ी कानों के टॉप्स जिनकी कीमत 2,15,060 रुपये मय स्टोर बिल व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन (जिसके कैमरे पर बिंदी लगी हुई) बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्ता प्रियंका द्वारा बताया गया कि अभियुक्ता और उसका पति विक्रांत मिलकर लोगों को ऑनलाइन HDFC क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर ठगी करते थे। फेसबुक ग्रुप्स/पेज और अलग-अलग खाते बनाकर मोबाइल नंबर प्राप्त कर, प्रियंका कस्टमर से मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से उनकी क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जानकारी लेकर ऑनलाइन स्टोर्स से गोल्ड ज्वैलरी खरीदवाते और बाद में जाकर उन्हें स्टोर से प्राप्त कर लेते थे। अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि वीडियो कॉल पर चेहरा नहीं दिख सके इसलिए वो उसके फ्रंट कैमरे पर बिंदी लगाए रखती थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-- प्रियंका वत्स पत्नी विक्रांत वत्स निवासी विजय बिहार कॉलोनी, रोहिणी दिल्ली, उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 सोने की चेन व 01 जोड़ी कानों के टॉप्स जिनकी कीमत 2,15,060 रुपये
2. घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन

साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव बिंदु--

1- अंजान कॉल व कॉलर से सावधान रहें: कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को बैंक/कस्टमर केयर अधिकारी बताकर कॉल करे और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से जुड़ी जानकारी मांगे, तो ऐसी कॉल पर विश्वास न करें।

2- स्क्रीन शेयरिंग ऐप का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से करें: किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer या अन्य स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल या उपयोग न करें। स्क्रीन शेयरिंग के दौरान आपका ओटीपी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण और बैंकिंग जानकारी अपराधियों के हाथ लग सकती है।

3- सोशल मीडिया ऑफर्स से सतर्क रहें: फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड या लोन से संबंधित आकर्षक विज्ञापनों, लिंक व मैसेज से सावधान रहें।

4- ओटीपी व पासवर्ड कभी साझा न करें: बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी या कोई भी संस्था कभी ओटीपी, सीवीवी या पिन नहीं मांगती। ऐसी मांग होने पर तुरंत कॉल काट दें।

5- धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करें: किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।